न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –190 / 2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
निजामुदीन पुत्र ईस्माईल जाति तेली मुसलमान निवासी गौरेडी चांचा तहसील डेगाना जिला नागौर		1. बतुल बानो पत्नी स्व. हजारी खां के कायम मुकामान– 1 / 1 जमीला पुत्री स्व. हजारी खां पत्नी शकुर जाति मुसलमान निवासी ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर 1 / 2 साबरा बानो पुत्र स्व. हजारी खां पत्नी सतार जाति मुसलमान निवासी पादूकलां तहसील मेडता जिला नागौर 2. सकुर मो. पुत्र स्व. हजारी खां 3. नजीर खां पुत्र स्व. हजारी खां 4. फारूख मोहम्मद पुत्र स्व. हजारी खां 5. फकीर मोहम्मद पुत्र स्व. हजारी खां समस्त जाति तेली निवासीगण गौरेडी चांचा तहसील डेगाना जिला नागौर 6. नबाब खां पुत्र सवाई खां जाति कायमखानी निवासी कायमखानी नगर, डेगाना तहसील डेगाना 7. अब्दुल गनी पुत्र जबरू जाति तेली 8. ईशाक पुत्र जबरू जाति तेली 9. सुनिल कुमार पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी गौरेडी करणा तहसील डेगाना जिला नागौर 10. जन्नत पत्नी बाबुदीन 11. सलीम पुत्र बाबुदीन 12. रहमत हुसैन पुत्र बाबुदीन 13. हनीफ पुत्र बाबुदीन 14. मुस्तफा पुत्र बाबुदीन 15. खातुन पुत्री बाबुदीन 16. सबु पुत्री बाबुदीन समस्त जाति मुसलमान निवासीगण कुरडाया तहसील मेडता जिला नागौर 17. आमना पत्नी समसुदीन 18. नबाब पुत्र समसुदीन 19. चन्दु पुत्री समसुदीन 20. नसीम पुत्री समसुदीन

कलक्टर, नागौर

21. गरीब मोहम्मद पुत्र समसुदीन
22. सुभराती पुत्र समसुदीन
23. ईकबाल पुत्र समसुदीन
24. याकुब पुत्र समसुदीन

रेस्पोडेन्ट संख्या 21 से 24 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता आमना पत्नी समसुदीन समस्त जाति तेली निवासीगण गौरेडी चांचा तहसील डेगाना जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।

निर्णय दिनांक : 11-1-2018

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम झगडवास तहसील डेगाना का म्यूटेशन संख्या 259 जो नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा दिनांक 30.03.1984 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 09.10.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपने पिता ईस्माईल के फौत के पश्चात् नामान्तकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर देने के बावजूद भी नामान्तकरण स्वीकृत नहीं होने बाबत पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अभी कुछ समय पूर्व रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को मुतनाजा जमीन से बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दी तब अपीलांट को वहम हुआ एंव उसने हल्का पटवारी से जाकर नकल प्राप्त की व पुरानी जमाबंदियों व म्युटेशन संख्या 259 की नकल प्राप्त की तब प्रथम बार अपीलांट को नामान्तकरण जैर अपील की सम्पूर्ण जानकारी हुई। अपीलांट अनपढ, ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है इसलिए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाना उचित व न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह ने भी अपनी बहस में वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुवे कथन किया की अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के मयाद प्रार्थना पत्र पर सहानूभूतिपूर्व विचार करते हुए न्यायहित में अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम झगडवास तहसील डेगाना की सीमा में खेत खसरा नम्बर 158 रकबा 38.11 बीघा स्थित है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से यानि 16.11 बीघा में सें आधा हिस्सा 8.5 बीघा अपीलांट के पिता ईस्माईल पुत्र सुल्तान की खातेदारी का कब्जा शुदा खेत आया हुआ है। अपीलांट के पिता की खातेदारी वरवक्त टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहती चली आई है। संवत् 2026 से 2029 की खतौनी के कॉलम संख्या 10 में नामान्तकरण संख्या 98 का हवाला देते हुए सराजुदीन, अब्दुल गनी, ईशाक मो. पिसरान जवरिया एंव ईस्माईल वल्द रसूल का अंकन किया गया है जबकि उक्त रसूल जवरिया के पिता का नाम है। जो इसी खतौनी के कॉलम सं. 5 से स्पष्ट है। इस प्रकार संवत् 2026 से 2029 की खतौनी में अपीलांट के पिता ईस्माईल की वल्दियत में सुल्तान की जगह रसूल नाम गलत अंकित कर दिया गया है जबकि रसूल सह खातेदार जवरिया के पिता का नाम है। इस बाबत अपीलांट द्वारा म्युटेशन संख्या 98 की नकल प्राप्त की गई किन्तु म्युटेशन संख्या 98 किसी अन्य खसरा नम्बर 126 बाबत स्वीकृत हुआ है किन्तु फिर भी खतौनी संख्या 36 मे गलत इन्द्राज उक्त म्युटेशन का हवाला देते हुए कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट के पिता ईस्माईल के फौत हो जाने पर ईस्माईल का वास्तविक वारिसान अपीलांट व उसके भाई समसुदीन व बाबुदीन के नाम म्युटेशन दर्ज कर दिया गया लेकिन उक्त म्युटेशन कोर्ट विवाद होने का हवाला देकर व राजस्व रेकर्ड में ईस्माईल के पिता नाम रसूल दर्ज होना बताकर नामान्तकरण दिनांक 30.03.1984 को निरस्त कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील अवैध एंव पूर्णत विधि विरूद्ध ढंग से पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों पर गौर किए मनमाने ढंग से आदेश जैर अपील पारित किया है इस कारण भी आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 158 का पर्चा ठिकाना अपीलांट के पिता ईस्माईल पुत्र सुल्तान के नाम से जारी हुआ था जो खातेदारी यथावत संवत् 2026 तक निरंतर चलती रही किन्तु संवत् 2026 की जमाबंदी में लिपिकीय भूल से म्युटेशन संख्या 98 का हवाला देते हुए अपीलांट के पिता ईस्माईल की वल्दियत में सुल्तान के स्थान पर रसूल अंकित कर दिया गया जबकि रसूल सह खातेदार जवरिया के पिता का नाम था जबकि वास्तविक खातेदार अपीलांट के पिता ईस्माईल पुत्र सुल्तान की है किन्तु उक्त तथ्यों को नजरंदाज करते हुए नायब तहसीलदार ने मनमाने ढंग से नामान्तकरण संख्या 259 निरस्त करने में विधिक भूल की है।

ईस्माईल पुत्र रसूल नाम का कोई व्यक्ति नहीं था किन्तु संवत् 2026 में वल्दियत गलत दर्ज हो जाने में अपीलांट का कोई दोष नहीं है बल्कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत वल्दियत दर्ज की गई है। इस कारण अपीलांट के पिता के फौत होने पर उनके उतराधिकारियों का नाम ही हल्का पटवारी द्वारा भरकर म्युटेशन संख्या 259 पेश किया गया था किन्तु कोर्ट के मुकदमे का हवाला देकर नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा गलत

रूप से नामान्तकरण निरस्त किया गया। जबकि उक्त नामान्तकरण निरस्त करते समय कोर्ट में विचाराधीन किसी भी प्रकरण का कोई हवाला नहीं दिया गया न ही किसी प्रकार का कोई मुकदमा उस समय विचाराधीन था। इस कारण भी नायब तहसीलदार द्वारा म्युटेशन जैर अपील निरस्त करने में विधिक भूल करने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा म्युटेशन संख्या 259 बाबत दिनांक 30.03.1984 को पारित आदेश निरस्त फरमाने तथा अपीलांट व उसके भाईयों बाबुदीन व समसुदीन के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री विक्रम जोशी ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा ग्राम झगडवास तहसील डेगाना की सीमा में खेत खसरा नम्बर 158 रकबा 38.11 बीघा स्थित होना एवं उक्त भूमि के 1/2 हिस्से यानि 16.11 बीघा में सें आधा हिस्सा 8.5 बीघा अपीलांट के पिता ईस्माईल पुत्र सुल्तान की खातेदारी का कब्जा शुदा खेत आया हुआ होना अवगत कराते हुऐ नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा नामान्तकरण संख्या–दिनांक 30.03.1984 को निरस्त किया गया है, को इस अपील के जरिये चुनौती दी गई है। परन्तु म्यूटेशन जैर अपील में वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या–772/83 शकूर वगैरह बनाम निजामूदीन में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी शकूर वगैरह के हिस्से में रहेगी व इसके अपने हिस्से 8 बीघा 5 बिस्वा बाबत प्रत्यर्थी निजामूदीन किसी प्रकार का उजर दावा नहीं करेगा व अपना दावा खारिज करवा लेगा। निजामूदीन का कोई कब्जा काश्त नहीं है व न रहेगा। कब्जा पहले से ही अपीलार्थीगण शकूर वगैरह का है, जिसको प्रत्यर्थी स्वीकार करता है। उक्त राजामीना में अपीलान्ट निजामूदीन के हस्ताक्षर भी है। उक्त राजीनामा के आधार राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.11.84 के द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त म्यूटेशन जैर अपील में वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या– 27/2015 अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध धारा 88, 188, 53 आर.टी. एक्ट के तहत दायर कर रखा है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर 158 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा जिसका 1/2 हिस्सा रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम हटाने आदि के संबंध में दायर कर रखा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रकार म्यूटेशन जैर अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध में मामला विचाराधीन उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में विचाराधीन होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम झगडवास तहसील डेगाना की सीमा में खेत खसरा नम्बर 158 रकबा 38.11 बीघा स्थित है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से यानि 16.11 बीघा में सें आधा

हिस्सा 8.5 बीघा अपीलांट के पिता ईस्माईल पुत्र सुल्तान की खातेदारी का कब्जा शुदा खेत आया हुआ होना अवगत कराते हुऐ नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा दिनांक 30.03.1984 को निरस्त किया गया है, को इस अपील के माध्यम से वकील अपीलान्ट द्वारा चुनौती दी गई है। वकील रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार म्यूटेशन जैर अपील में वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या–772/83 शकूर वगैरह बनाम निजामूदीन में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी शकूर वगैरह के हिस्से में रहेगी व इसके अपने हिस्से 8 बीघा 5 बिस्वा बाबत प्रत्यर्थी निजामूदीन किसी प्रकार का उजर दावा नहीं करेगा व अपना दावा खारिज करवा लेगा। निजामूदीन का कोई कब्जा काश्त नहीं है व न रहेगा। कब्जा पहले से ही अपीलार्थीगण शकूर वगैरह का है, जिसको प्रत्यर्थी स्वीकार करता है। उक्त राजीनामा पर अपीलान्ट निजामूदीन के हस्ताक्षर भी है। उक्त राजीनामा के आधार राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.11.84 के द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित किया गया है।

म्यूटेशन जैर अपील में वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या– 27/2015 अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध धारा 88, 188, 53 आर.टी. एक्ट के तहत दायर कर रखा है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर 158 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा जिसका 1/2 हिस्सा रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम हटाने आदि के संबंध में दायर कर रखा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। नामान्तकरण एक फिसकल प्रोसिंडिंग है, म्यूटेशन के द्वारा किसी के भूमि में खातेदारी अधिकार तय नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सार हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाया जाकर निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर